Ex.P-274

कथन – मोहम्मद इस्तीयाग मेमन

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध कमांक	–	09 / 2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	मोहम्मद इस्तीयाग मेमन पिता अब्दुल गरीम मेमन
उम्र	–	54 वर्ष
पता	–	आजाद चौक, दंतेश्वरी वार्ड, जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	94061–70500
व्यवसाय	–	सह–संचालक, मेमन राईस मिल, नकटी सेंभरा, आड़ावाल, जगदलपुर बस्तर (छ0ग0)

––00––

मैं मोहम्मद इस्तीयाग मेमन पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं मेमन राईस मिल, नकटी सेंभरा, आड़ावाल, जगदलपुर का सह–संचालक हूं। मेरा बेटा सहदाब मेमन मुख्य रूप से मिल के काम को देखता हैं। पिछले वर्ष हमारा जिला विपणन अधिकारी से लगभग 30 हजार क्विंटल धान उठाने का अनुबंध हुआ था। जिसमें से हमने 30 हजार क्विंटल धान उठा लिया था पर उसके एवज 20 हजार क्विंटल चावल जमा करना था। जिसमें से मैं 4400 क्विंटल चावल नहीं जमा कर पाया था। मुझे कलेक्टर बस्तर से इस बाबत् नोटिस प्राप्त होने पर मैंने बाद में 15 लॉट चावल जमा किया था। अभी भी करीब 01 लॉट चावल जमा करना बाकी है। मुझसे नान के क्वालिटी इंस्पेक्टर श्री सतीश कैवर्त्य 12रू. प्रति क्विंटल के हिसाब से कलेक्शन लेते थे। मेरा 57,936रू. कलेक्शन का रकम क्वालिटी इंस्पेक्टर सतीश कैवर्त्य को देना बाकी था जिसमें मैंने 10,500रू. उसके पास जमा कर दिया था। इस प्रकार राउंडफिगर में 47,500रू. कलेक्शन की रकम देना बचत रह गया था। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा मुझे कैवर्त्य से जप्त लिस्ट को दिखाया गया जिसमें लिखी हुई रकम उपरोक्त रकम है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 06.04.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ